SHRI JAGESH DESAI: I am very happy that the Minister is worried to expand the infrastructure and for many years...

MR. CHAIRMAN: You are happy, but put your question now.

SHRI JAGESH DESAI: I welcome that announcement and I am sure that the Government will stick to it. Bu I would like to ask one thing. As far as the new refund rules are concerned, if a person, who wants to travel to Bombay, but gets down at Baroda, you have decided that they should be refunded partly. For that purpose he will have to go to the Zonal Headquarters. Will the hon. Minister consider such a refund should be given to him from the Divisional Headquarters?

SHRI GEORGE FERNANDES: That is a suggestion for consideration.

श्री शिकन्दर बख्त : महोदय, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वह डिवीजनल ऑफिसेज से हल किए जाने का सवाल है तो फिर ये जोनल हैडक्वार्टर्स ऐसे शहरों में क्यों रखे जाते हैं जहां पहले से ही आबादी की प्रॉब्लम और इस सिलसिले में नर्दर्न रेलवे का हैडक्वार्टर दिल्ली से कहीं शिफ्ट करने का इरादा है किसी ऐसी जगह में जहां पापूलेशन प्रेशर कम हो क्योंकि दिल्ली की पापूलेशन तब बढ़ गई है?

श्री जार्ज फर्नांडीस : अध्यक्ष जी, यह तो ऐतिहासिक कारणों के चलते रेलवे के जोनल हैडक्वार्टर्स अलग-अलग क्षेत्रों में हैं जैसे कलकत्ता में 2 हैं, बम्बई में दो हैं। यह ऐतिहासिक कारणों से है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जहां रेलवे के मुख्यालय थे वहां पर इन मुख्यालयों को रखा गया है।

अब माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि दिल्ली से इसको निकालकर हम अन्य जगह ले जाएं तो जो बात मैंने पहले कही, वही बात यहां भी लागू होगी। दिल्ली की आबादी में कमी होना तो मुश्किल है क्योंकि यहां तो लोग आते ही रहेंगे लेकिन यहां से लोगों को उठाकर बाहर ले जाने की जो बात है और दूसरी जगहों पर हैडक्वार्टर बनाने वाली बात है, इसमें करीब 100-200 करोड़ रुपए के खर्च की बात आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता है।

15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय

*322. **श्री प्रमोद महाजन :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :†

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पिछली सरकार द्वारा बनाए गए और वर्तमान सरकार द्वारा जारी रखे गए 15 सूत्री कार्यक्रम में किन-किन अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आदि में हिन्दू (जहां वे अल्पसंख्यक हैं) अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन सुविधाओं के पात्र हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पांच धार्मिक समुदाय नामत: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक के रूप में

---

†सभा में यह प्रश्न श्री कृष्ण लाल शर्मा द्वारा पूछा गया।

माने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरी शिकायत यह है कि इस प्रश्न का उत्तर न मेरी सीट पर है, न बाहर जो डैस्क है उस पर है। प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं पहुंचाया गया, यह मैं समझ नहीं सका हूं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि मुझे पूरक प्रश्न करने हैं।

मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि हमारे सैक्यूलरवादी, समाजवादी और लोकतंत्रवादी देश में माइनॉरिटीज और मेजारिटी का निर्धारण जो आज मंत्री महोदय ने बताया है, यह किस प्रकार किया गया है? क्या यह कांस्टीट्यूशनल प्राविजन है? क्या यह उनकी अपनी सरकार का निर्णय है? यह किसका निर्णय है, कैसे इसका निर्धारण किया गया है, यह बताएं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आपने पांच वर्ग गिनाए हैं जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आप देश में मेजारिटी किसको मानते हैं और उस मेजारिटी में कौन-कौन शामिल हैं, इसकी कुछ व्याख्या करेंगे तो मुझे कुछ लाभ होगा।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि संविधान की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें माइनॉरिटी कौन हैं, उनको बतलाया गया है। लेकिन अभी तक जितने कमीशन बने हैं और विभिन्न जो कोर्टस में जजमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर जो धार्मिक (रिलीजस) दृष्टिकोण हैं उनमें पांच जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों में माने गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा यह केंद्र का मामला है। अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग है। जम्मू काश्मीर में आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज हिन्दू हैं जिनकी जनसंख्या वहां 32.24 प्रतिशत है। जहां मिजोरम में वे 7.14 परसेंट हैं। अरुणाचल में 29.24 परसेंट हैं, नागालैंड में 14.3 परसेंट हैं, मेघालय में 18.3 परसेंट हैं, पंजाब में 36.93 परसेंट हैं। जो पूरी देश की आबादी है उसमें जो जनगणना 1981 की है, उसके मुताबिक कुल हिन्दू पापुलेशन 82.64 है, मुस्लिम 11.35 परसेंट हैं, क्रिश्चियन 2.43 परसेंट हैं, सिख 1.97 परसेंट हैं और बौद्ध 0.71 परसेंट हैं, पारसी 0.01 परसेंट हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान संविधान की धारा 25 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें राइट टु फ्रीडम आफ रिलीजन के अंतर्गत आखिरी पैरा में उसके ऐक्सप्लेशन में लिखा है—

"Right to Freedom of Religion: Explanation II—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly."

यह कंस्टीट्यूशनल प्रोविजन है। अभी तक इन्होंने जो एक्सेप्लेनेशन दिया है मुझे लगता है वह संविधान विरोधी एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है जो मैंने पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में, पंजाब में या जो इस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें, जो माइनोरिटीज को अधिकार दिये गये हैं क्या वे अधिकार उन लोगों को मिलेंगे जो पांच वर्ग आपने गिनाये हैं? जम्मू-कश्मीर में जो माइनोरिटी में लोग हैं क्या रिक्रुटमेंट में, भरती में या दूसरी जगहों पर उनको वे सुविधाएं मिलेंगी जो माइनोरिटीज के लोगों को

आप दे रहे हैं? जम्मू-कश्मीर में ये सुविधाएं किस को मिली है?

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले ही जवाब दे दिया था कि जो सूची पांच की मैंने गिनाई है, जहां तक राज्य सरकारों का मामला है राज्य स्तर पर कौन अल्पसंख्यक है, जिला स्तर पर कौन अल्पसंख्यक है, गांव स्तर पर कौन अल्पसंख्यक है उसका ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि ध्यान में रखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन अल्पसंख्यक है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैंने जो कंस्टीट्यूशनली बात कही है उसका जवाब नहीं दिया। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में माइनोरिटी की जो सुविधाएं हैं वह किस को मिलेंगी? आप इस कंस्टट्यूशन का आर्टीकल 25 का एक और दो पढ़िये।

श्री सभापति : आपने आर्टीकल 25 का हवाला दिया है। कंस्टीटूशन की बात पूछी है। आप इसको पढ़ लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कश्मीर का अलग कंस्टीट्यूशन है।

श्री राम विलास पासवान : जो माननीय सदस्य ने कहा है मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। आप देखेंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है। हमने कहा है कि अल्पसंख्यक कौन है, माइनोरिटी में कौन है वह राष्ट्रीय आधार पर तय किया गया है, वह राज्यों के आधार पर तय नहीं किया जाता है।

श्री. सभापति : इन्होंने आर्टीकल 25 का एक्सप्लेनेशन किया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बौद्ध और सिख भी सम्मिलित हैं इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। यह अलग-अलग मसला है। जैन क्यों नहीं जोड़ा गया जो अल्पसंख्यक समुदाय है...

MR. CHAIRMAN: I don't agree. It arises from this question. The question is about it. When he asked, who do you consider, article 25, Explanation says that 'Hindu' includes Jain, Buddhist, Sikh...

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: If I may clarify, the Constitution is misunderstood by him.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : संविधान के आर्टीकल 25 में स्पष्ट कहा गया है। सीधा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो अल्प संख्यक की सुविधाएं हैं वह किस को जायेंगी? जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं आप किस को देंगे?

श्री राम विलास पासवान : जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है जो अल्पसंख्यक समदाय है उसको जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरे देश के नजरिये से देखा जाता है। वहां जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं पूरे देश में वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है आर्टीकल 25 का आपने हवाला भी दिया है जिसमें बौद्ध और सिख भी सम्मिलित हैं, दूसरे समुदाय के लोग सम्मिलित हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि दूसरे समुदाय के लोग क्या चाहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बौद्धों और सिखों को अलग रखा माना गया है।

श्री अश्विनी कुमार ; संविधान के विपरीत आप कैसे काम करेंगे

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA; I would like to raise a point of order.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order in Question Hour. You can put a supplementary.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He can give a point of information.

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Sir, the minorities have been decided at the national level, not at the State level.

MR. CHAIRMAN: That is what he has said.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैंने यह पूछा था क्या जम्मू-कश्मीर में वे सब माइनोरिटीज की सुविधाएं उन लोगों को मिलेगी जो वहां एक्चुअल मोइनोरिटी में है ?

श्री सभापति : वह सब समझ गये हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, अल्पसंख्यकों के लिए पिछली सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था, उसको वर्तमान सरकार ने जारी रखा है। श्री शांति त्यागी के तारांकित प्रश्न संख्या 336 जो आज के लिए ही है, उसके उत्तर में 15 सूत्री कार्यक्रम दिया गया है और उसका उत्तर भी दिया गया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान 15 सूत्री कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की गई है या नहीं और क्या उस समीक्षा के आधार पर इस कार्यक्रम को परिवर्तित करने का विचार है ताकि वह अधिक प्रभावी हो सके, क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है? मेरा (ब) प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था और वह डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में बना था, उस पर लाखों रुपये खर्च हुए थे, उसने जगह जगह घूम करके अपनी रिपोर्ट बनाई थी और कई वर्ष पूर्व उसने सरकार के पास रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। लेकिन राष्ट्र को यह जानकारी नहीं हो पाई है कि डा० गोपाल सिंह की अल्पसंख्यकों की कमेटी ने क्या संस्तुति दी है और क्या रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि डा० गोपाल सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको क्या इसी सत्र में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, जहां तक 15 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, यह सबको मालूम है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से तीन चार पाइन्ट्स हैं। वैसे कहे तो 15 सूत्री कार्यक्रम का पूरा का पूरा ब्यौरा मेरे पास है। हम उसको पढ़कर सुना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उसमें अफसरों का क्या रौल होना चाहिए, उसके संबंध में है। इसमें पुरस्कार और दण्डित करने का प्रावधान है। जहां तक न्यायालयों का सवाल है, अभी तक विशेष न्यायालय तीन जगहों पर खोले जा चुके हैं। दिल्ली में तीन, मेरठ में चार और भागलपुर में छः खोले जा चुके हैं। उसके बाद राहत की राशि का सवाल है। राहत की राशि पहले 30 हजार रुपये थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय को लिखा गया है कि उसको बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जाय। इसमें यह भी है कि रेडियो, टेलीविजन और जो समाचार पत्र हैं, उनका क्या रौल होना चाहिए जिससे साम्प्रदायिक सद्भावना कायम रह सके। इसके साथ साथ सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की जो संख्या कम है उसमें भी मोनिटरिंग होती है। कैसे उनका प्रतिशत बढ़ाया जाय, और इसके लिए भी बहुत सारे उपाय 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : डा० गोपाल सिंह कमीशन के बारे में मैंने प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री राम विलास पासवान : वह तो चार पांच दिन पहले इसी सदन में रख दिया था।

श्री सभापति : वह रख दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं यह कहना चाहती हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो 15 सूत्री कार्यक्रम पिछली सरकार के समय से चल रहा है और उसके पहले सात सूत्री कार्यक्रम सम्प्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए बना था और हम यह भी जानते हैं कि कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक माइनोरिटी विंग भी काम करता है। इसके बावजूद पिछली सरकार के काल में भागलपुर में भयावह साम्प्रदायिक दंगा हुआ। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि उस समय यह माइनोरिटी विंग क्या काम कर रहा था ? यह तो खुदा ही जानता होगा, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा इस 15 सूत्री कार्यक्रम को वास्तव में अमली रूप देने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं और इस 15 सूत्री कार्यक्रम में जो 8 से 10 सूत्र हैं उन सूत्रों में सरकारी नौकरियों में, राज्य तथा केन्द्रीय पुलिस बलों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में और सार्वजनिक उद्योगों में अल्पसंख्यकों की भर्ती का जो विशेष ख्याल रखने की बात कही गई है उसके संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस प्रकार का विशेष ख्याल रखने के लिए तमाम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसका ब्यौरा दिया जाय तो मैं मंत्री महोदय की आभारी रहूंगी।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने सरकारी नौकरियों की बात कही है। मैंने पहले ही कहा और प्रधान मंत्री जी ने भी अपने जवाब में कहा था कि नौकरियों उनकी संख्या कम है, उनका उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रतिमाह केबिनेट की एक्शन टेकन कमेटी है। जो 15 सूत्री कार्यक्रम है माइनोरिटी के लिए, उसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं और अलग से माइनोरिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के काम का जो लेखा जोखा होता है उसको प्रति माह रखा जाता है। सरकार ने पहले ही कहा है कि हमने यह निर्णय लिया है कि जितने भी सेलेक्शन बोर्डस हैं उसमें माइनोरिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को निश्चित रूप से रखा जाय जिससे उनकी संख्या का मूल्यांकन किया जा सके और उसको पूरा किया जा सके।

श्री सभापति : यह बात कई बार बता चुके हैं। उनका सवाल है कि कांकरीट रिजल्ट क्या निकला।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप जो लेखा लेते हैं तो वह क्या लेखा लेते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात सही है कि केवल शिकायतें ही नहीं बल्कि तथ्य भी यह है कि विभिन्न सर्विसेज में हमारी माइनोरिटीज के लोग नहीं आ पाते हैं और इसका निराकरण करने की आवश्यकता एक सही आवश्यकता है। इसके लिये यह निर्णय किया गया, मन में एक बात बनी रहती है कि न्याय वेरियस सलेक्शन में नहीं होता। तो इसके लिये यह निर्णय हुआ कि एक एस०सी०एस०टी० और माइनारिटीज का मेंबर सलेक्शन बोर्ड में रहे, इसके लिये सारे बोर्डों, सेंटर से हमने सूचना मंगाई और हर महीने हर बोर्ड की एक एक डिटेल में जाकर उसको सुधार रहे हैं। दूसरा यही चीज जहां कि और कदम नहीं उठा रहे हैं। अब यह आंकड़े भी कलेक्ट किये जा रहे हैं विभिन्न विभागों से कि किस संख्या में आये। कभी कभी आईना दिखाने से अगर चेहरे में कुछ है तो वह भी सुधार होता है। अब यह निर्णय किया गया है कि माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट जो सदन में नहीं रखी जाती है, उसको रेगुलरी सदन में रखा जायेगा। इस सारे कार्य से एक वातावरण भी ऐसा बनेगा जिससे इस तरह की अन्याय की भावना या नेगेल्ट की भावना है, वह दूर होगी। उनको सही न्याय मिले इस पर सरकार तत्पर है।

डा० अबरार अहमद खान : माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी सलेक्शन बोर्ड में एक एक अल्पसंख्यक मेंबर रखा जायेगा। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम उस सलेक्शन बोर्ड के लिये रोजगार नहीं चाहते हैं, हम गरीबों के लिये रोजगार चाहते हैं। आजकल आरक्षण की बात काफी चल रही है। तो मेरा सीधा सवाल है कि क्या सरकार अल्पसंख्यकों के लिये भी कोई आरक्षण करने जा रही है? दूसरा मैं माननीय कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हू कि अल्पसंख्यों में भी एक हरिजन समुदाय है, मुस्लिम हरिजन जो आगरा और यू०पी० में बहुत ज्यादा है। तो क्या इस 15-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से उनके कल्याण के लिये कोई योजना बनाई है या उसमें से किसी का कल्याण किया है? और अंत में, माननीय सभापति जी, 15-सूत्री कार्यक्रम में जो फस्ट सात बातें संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में कही गई है तो पुलिस के अच्छे अधिकारी, निष्पक्ष अधिकारियों को रखने की बात कही है तो राजस्थान में कोटा के अंदर कुछ पुलिस अधिकारियों ने, यह मेरे पास फोटो है...

श्री सभापति : नहीं, नहीं इसमें यह प्रश्न नहीं उठता। नहीं नहीं।

डा० अबरार अहमद खान : ...ताजा कब्रों को खोदकर हथियार ढूंढे गये जिसमें कफन, यह मतलब ताजा औरत की कब्र को खोदकर तीन महीने पहले किया गया है तो क्या जानकारी है और क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे यह मैं जानना चाहूंगा? धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: It does not arise. It is for the State Government.

श्री राम विलास पासवान : इसमें तीन चीजें हैं। इन्होंने पहले यह कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट के जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, या दूसरे धर्मावलम्बी...

श्री सभापति : पहला सवाल यह था। Are you thinking of having Muslims in the Backward Classes?

श्री राम विलास पासवान : शेड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्टेड हुए मुस्लिम तो इसके बारे में पहले भी मैंने कहा था, इस सदन में कहा था कि यह कोई एक पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक मंडल कमीशन का सवाल है, मंडल कमीशन ने तमाम जातियों को अपनी सूची में रखा है। जहां तक जातियों का मामला है, यह केवल राष्ट्रीय मोर्चा या जनता दल का मामला नही है। अगर सभी पोलिटिकल पार्टियों के लोग इस पर विचार करने के लिये तैयार हों तो हमारा इस पर कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे सदस्य ने कहा था कि जब आर्टिकल 25 में है तो फिर उसको अलग क्यों माना गया। अलग इसलिये माना गया कि आर्टिकल 29 के तहत यदि आप देखें तो 29 और 30 के तहत जो सिख और बौद्धिस्ट थे, इन्होंने कोर्ट में जाकर मुकदमा किया और कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको माइनारिटी करार दिया गया। एक और प्रश्न उन्होंने कम्युनल रायट्स के बारे में माननीय सदस्य ने कहा तो मैं समझता हूं कि कम्युनल रायट्स जो हैं यह सरकार की पोलिटिकल बिल के ऊपर निर्भर करता है। आज आप देखेंगे कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से कम्युनल रायट्स नजर नहीं आते हैं।

SHRI JAGESH DESAI: You are misleading the House. ...(*Interruptions*)...

श्री राम विलास पासवान : कहीं छोटी मोटी घटना होती भी है तो शांत हो जाती है। ..(**व्यवधान**)...लेकिन इस सदन में..(**व्यवधान**)..इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हमारी पोलिटिकल विल, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर किसी भी सरकार की पोलिटिकल विल हो, नीयत साफ हो तो कम्युनल रायट्स नहीं हो सकता और हो गये तो 24 घंटे के अंदर उसपर कब्जा किया जा सकता है।

डा० अ॰रार अहमद खान : मेरे तीन एक्स इंटड सवाल थे। एक मुस्लिम हरिजनों के बारे में क्या आपने कुछ रखा है। 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से, उसका उत्तर नहीं आया है। दूसरा आरक्षण के बारे में था और तीसरा मैंने पुलिस अधिकारियों का... (व्यवधान)

श्री सभापति : आरक्षण का हो गया, मुस्लिम हरिजनों के बारे में उन्होंने कह दिया है कि उस पर सब से बात करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : कई एक तो मंडल कमीशन में रख दिया गया है। यह जो कनवर्टेड है मैंने कहा है कि एक पार्टी का मामला नहीं है। यदि सब पार्टियां उस पर विचार करने के लिए तैयार हो जाएं तो सरकार का कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है।

SHRI JAGESH DESAI: What is the policy of the Government If Harijans are becoming Buddhist and they are included, what is the policy of the Government?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Representations have come regarding Christians also and about others. The Government is examining those proposals . . .

SHRI JAGESH DESAI: What is the policy of the Government?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: A am telling you; you were considering this for so many years, for forty years, and you did not come with a policy. You don't want to wait

AN HON. MEMBER: You were also there with us.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I realised my mistakes. I am correcting those mistakes. For me it is a correction of mistakes. On this also a consensus approach will have to be taken. We are examining the representations that have come Under the Mandal Commission itself a very large section of minorities in U.P. and various other areas will get benefit it has. also been stated, Ram Vilas Paswanji has said, that our attempt is in that directionion. general consensus arises for reservation for minorities and it requires amendment of the Contitution. So we are not averse. In fact, we go by the general consensus.

श्री जेड० ए० अहमद : सभापति महोदय, यह जो सवाल है यह बहुत अहम सवाल है और कितना कनफ्यूज़न और उलझाव इस सवाल पर है, यह इसी बहस से मालूम हो रहा है। पहला सवाल यह है कि माइनरिटीज कौन है? क्या इस मजहब के हैं, उस मजहब के हैं, फिर शैड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आ जाता है। वह माइनारिटीज के साथ उलझ जाता है। सभापति महोदय, माइनॉरिटीज का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और जितने प्रश्न आज यहां पूछे गये हैं, सही प्रश्न हैं। इसलिए इनके ऊपर सफाई होनी चाहिये। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है आपके लिए कि इन प्रश्नों के ऊपर आप एक स्पेशल कमेटी या कमीशन अप्वाइंट करें ताकि इस उलझे हुए सवाल को साफ किया जा सके। कुछ आप कहते हैं, कुछ आप कहते हैं, कुछ वो कहते हैं, इतना कनफ्यूजन है। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के सवाल को शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ उलझा दिया जाता है। यह क्यों हो रहा है? शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अपनी हैसियत है और इन दोनों को घड़ी घड़ी उलझा दिया जाता है। इसलिए मैं यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक स्पेशल कमेटी या कमीशन, जो भी नाम आप उसे दें, इस सवाल के ऊपर कि कौन माइनॉरिटीज है क्या सिख माइनोरिटीज में आते हैं या नहीं, अभी बताया गया कि पहले गलत इंटरप्रिटेशन किया गया था। कांस्टीट्यूशन कुछ कहता है और प्रेक्टिस में कुछ करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी या कमीशन

या कमीशन बैठा कर इन प्रश्नों को पोज किया जाय, साफ तरीके से टर्म्स आफ रेफ्रेंस दिये जायें फिर उसके ऊपर जो फैसला होता है वह पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह माइनारिटीज कमीशन है। कोई नया कमीशन मैं नहीं समझता हूं...

श्री जेड० ए० अहमद : उसकी हैसियत नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसको हैसियत दी जायेगी। उसका रेफ्रेंस इस सारे एनेलेसिज के बाद आये फिर नए परिप्रेक्ष्य में भी यह रेफ्रेंस दिया जा सकता है कि इस पर विचार किया जाय **(व्यवधान)**

श्री जेड० ए० अहमद फिर वही पिटा-पिटाया माइनारिटीज कमीशन को दे देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, वहां के लोगों पर निर्भर करता है। जैसे लोग अप्वाइंट करेंगे, दूसरे भी तो लोग ही अप्वाइंट करेंगे दूसरा कमीशन। हैसियत बनाने की बात है। अभी हमने वूमेन कमीशन की हैसियत बनाई है।

श्री जेड० ए० अहमद : मैं चाहता हूं कि एक स्पेशल कमीशन माइनारिटीज के लिए बनाया जाए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: माइनारिटीज की परिभाषा क्या है, क्या इसकी कहीं परिभाषा है? डा० जेड०ए० अहमद साहब के सवाल का जवाब दीजिये **(व्यवधान)** मैं आपके सवाल की वजाहत कर रहा हूं **(व्यवधान)**

सबको मौका देना है। मिस्टर स्वेल

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : महोदय ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप दिन भर हाथ उठाते रहें। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा यह कानून है सेटल्ड प्रेक्टिस है जिसको अंग्रेजी में यूफीमिज्म कहते हैं "Anybody who catches the eye of the Chair." I have to call Mr. Swell now. Yes, Mr. Swell.

इस तरह कोई फैसला नहीं होता... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जेड० ए० अहमद साहब का जवाब नहीं आया कि माइनारिटी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसका जवाब तो दें। What are the qualifications?... (*Interruptions*) ...I have got a right to know... (*Interruptions*) ...

क्वेश्चन आ गया तो वह सदन का हो गया। वह व्यक्ति का नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : माथुर साहब बैठिए। उनका सप्लीमेंटरी था वे संतुष्ट हैं। प्रश्न समाप्त हो गया। Please take your seat... (*Interruptions*) ... Please take your seat. Yes, Mr. Swell... (*Interruptions*) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सवाल आता है कि सवाल आने के बाद.. (व्यवधान) It is the property of the House... (*Interruptions*)... Once a question is put, then it is the property of the House... (*Interruptions*)... This concerns the House and it is for the Prime Minister to define it... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have called Mr. Swell... (*Interruptions*) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह मैंने कहा कि व्यक्ति का व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है । The moment a question is put, it becomes the property of the House (*Interruptions*)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माइनारिटी तो कांस्टीट्यूशन में डिफाइन्ड है ना ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लेकिन उसकी डिफिनीशन कहां है । मुझे संविधान का अनुच्छेद बताइए कि फलां अनुच्छेद में है । अनुच्छेद बता दीजिए । मैं चैलेंज कर रहा हूं **(व्यवधान)** कहां डिफाइन्ड नहीं है डिफाइन्ड करिए... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Mr. Prime Minister, you tell him who belong to the minority; tell him who belong to the minority...(*Interruptions*)...

SHRI G. G. SWELL: Sir, you have called me...(*Interruptions*)....

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He has asked a question and he is entitled to an answer. We cannot go on in this way...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : आप बैठिए.. **(व्यवधान)** क्या फरमाया आपने । यह मैं निर्णय करता हूं कि किसको अवसर दूं.. **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग : मैं कह रहा हूं कि कौन माइनारिटीज है, कौन नहीं है इसको डिफाइन होना चाहिये । सभापति महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि मिजोरम, जम्मू काश्मीर और अन्य जगहों पर जहां हिंदू माइनारिटी में है क्या सरकार यह साहस दिखाएगी कि कि इस माइनारिटी के साथ 15 सूत्री कार्यक्रम में हिन्दुओं को भी लाया जाय। यह साहस दिखाए ।

श्री सभापति : यह शर्मा जी कह चुके है । शर्मा जी ने आपकी बात कह दी है **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वे कहते है कि संविधान में दिया है मैं कह रहा हूं सारी सरकार के सामने कि प्रधान मंत्री जी **(व्यवधान)**

श्री सभापति : माथुर साहब, ये जो स्वैल साहब खड़े हुए हैं इनको भी मौका दें ।

SHRI G. G. SWELL: Sir, the Minister by implication and the Prime Minister in clear terms have said that this concept of minorities is in the context of the nation and...

MR. CAHIRMAN: Please put your question.

SHRI G. G. SWELL:...not in the context of any particular state. I want to know whether the Government will stand by this concept or it will retract from it under pressure... (*Interruptions*)...

श्री रामविलास पासवान : सरकार के डिविएट करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक माथुर साहब ने कहा कि कांस्टीटयूशन में माइनारिटीज की व्याख्या नहीं है, तो कांस्टीटयूशन में माइनारिटीज की व्याख्या नही है लेकिन पूरे देश में सबको मालूम है कि जब किसी की आबादी कम रहती है तो... **(व्यवधान)** पहले सुन तो लीजिए ...**(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथर : अजीब तमाशा है । ये तो महोदय सरकार की जान बचा रहे है ...**(व्यवधान)**

श्री सभापति : स्वेल साहब के सप्लीमेंट्री का जवाब दे दीजिए कि थोट के अंदर ...**(व्यवधान)**

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: On the basis of social justice certain decisions have been taken. But as the Minister has stated—he has correctly stated—he is not getting into other pressures. (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing which is spoken without my permission will go on record.

मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी : चैयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से ...

† [مولانا عبیداللہ خان اعظمی: چیئرمین صاحب میں آپ کے مادھیم ...]

श्री सभापति : आप थोड़े में पूछ लीजिए।

मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी : मिनिस्टर साहब, यहां मौजूद है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि अब भी माइनार्टी का मसला हाऊस में आता है, तो यह एक मुइम्मा बन जाता है "शमा" किताब का और वह मुइम्मा कभी हल नहीं होता जितने भी मसायल आते हैं, उस मसले को कहां न कहां से किनारे पर पहुंचा दिया जाता है, मगर जब माइनार्टी का मसला आता है, तो एक तबका तो माइनार्टी को माइनार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होता है।

† [مولانا عبیداللہ خان اعظمی: منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہونگا کہ اب بھی مائناریٹیز کا مسئلہ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ایک معمہ بن جاتا ہے۔ "شمع" کتاب کا اور وہ معمہ کبھی حل نہیں ہوتا جتنے بھی مسائل آتے ہیں اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں کنارے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مگر جب مائناریٹی کا مسئلہ آتا ہے تو ایک طبقہ تو مائناریٹی کو مائناریٹی ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے۔]

श्री सभापति : आप सवाल कर ले ना।

मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी : मैं यह कहना चाहता हूं कि माइनार्टी के मामले में माइनार्टी कमीशन के जरिए सिर्फ माइनार्टी को सैटिस्फेक्शन नहीं होगा।

इस वक्त जो मसला चल रहा है रिजर्वेशन का, माइनार्टीज का मामला, बिलखसूस उसमें मुल्क की माइनार्टी की सब से बड़ी अक्सरीयत मुसलमानों का मसला हर गवर्नमेंट के सामने, चाहे अपोजीशन की ही कल गवनमेंट रही हो ...

† [مولانا عبیداللہ خان اعظمی: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مائناریٹی کے معاملے میں مائناریٹی کمیشن کے ذریعے صرف مائناریٹی کو سیٹیسفکشن نہیں ہوگا۔]

† [اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے ریزرویشن کا۔ مائناریٹیز کا معاملہ بالخصوص اس میں ملک کی مائناریٹیز کی سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کا مسئلہ ہر گورنمنٹ کے سامنے چاہے وہ اپوزیشن کی ہی کل گورنمنٹ رہی ہو ...]

श्री सभापति : आप सवाल करिए।

मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी : मैं यह कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने इस बात को मान लिया है कि मुसलमान मुल्क में सबसे ज्यादा पसमांदा सबसे ज्यादा गुरबत और इफलास का मारा हुआ, सबसे ज्यादा नान एजूकेटेड है। II तो जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ, बिखरा हुआ है, उसके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं हो रहा है, सारे लोगों के रिजर्वेशन हो

† [Transliteration in Arabic script].

रहे हैं, उसके लिए भी कोई न कोई सुरछित लाईन सरकार को लेना चाहिए, जिससे मुल्क के 12–14 करोड़ मुसलमानों को संतोष दिया जा सके और यह बताया जा सके कि हमारी सरकार जिस तरह है दूसरे मसायल में काम कर रही हैं, वैसे ही मुसलमानों के मामले में भी उसके पास चिंता है और वह यह लड़ाई लड़ेंगे।

मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए भी जिस तरह मंडल कमीशन..

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی
میں ایسا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں
نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اس
ملک میں سب سے زیادہ پسماندہ،
سب سے زیادہ غریب اور ان پڑھ،
نادار ہوا، سب سے زیادہ نادان
اگر کوئی ہے۔
تو جو سب سے زیادہ گرا ہوا
طبقہ ہوا ہے اس کے لئے ریزرویشن
نہیں سوچ رہے۔ سارے لوگوں
کے ریزرویشن ہو رہے ہیں۔ ان کے
لئے بھی کوئی نہ کوئی سرکشت
لائن سرکار کو لینی چاہئیے جس
سے ملک میں بارہ چودہ کروڑ
مسلمانوں کو سنتوش دیا جا سکے۔
یہ بتایا جا سکے کہ ہماری سرکار جس
طرح سے دوسرے مسائل میں کام کر
رہی ہے ویسے ہی مسلمانوں کے
معاملے میں بھی اسکے پاس چنتا ہے
اور وہ یہ لڑائی لڑیں گے۔
میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے
لئے بھی جس طرح منڈل کمیشن ...]

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है ?

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी : मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی
میں چاہوں گا کہ پردھان منتری جی کی
خواہش کو ریزرویشن میں پورا کیا
جائے۔]

श्री सभापति : क्या मुसलमानों को भी मंडल कमीशन के अंदर शामिल किया जाएगा, यह सवाल है।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी : क्या उसमें मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, या सिर्फ मंडल कमीशन के जरिए मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात पूरी की जाएगी, या माइनार्टी कमीशन की जो बात की जा रही है, उसको किस तरह से लागू किया जाएगा?

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی:
کیا اس میں مسلمانوں کو الگ سے
ریزرویشن دیا جائے گا۔ یا صرف
منڈل کمیشن کے ذریعے مسلمانوں کے
ریزرویشن کی بات پوری کی جائے گی
یا مائناریٹیز کمیشن کی بات کی جا رہی
ہے اس کو کس طرح لاگو کیا جائے گا؟]

श्री राम विलास पासवान : सर, उसके संबंध में प्रधान मंत्री जी ने बताया है। जहां तक माईनार्टी के अधिकारों की रक्षा का सवाल है, जहां तक उनके

† [Transliteration in Arabic script].

आर्थिक विकास का कार्यक्रम है, जहां तक उनकी एजकेशन में डिवैलपमेंट का सवाल है, सरकार इसके लिए कृत संकल्प है अगर माननीय सदस्य को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी सोशो-इकनोमिक और एजूकेशनल डिवैलपमेंट के लिए हमने बहुत सारी योजनायें बनाई हैं, और उसका प्रति माह मानिटरिंग हम कर रहे हैं और मानिटरिंग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि, उसका रिजल्ट भी हमको आने लगा है।

इसलिए, माननीय सदस्य को हम विश्वास दिलाना चाहते है कि रिजर्वेशन के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह सदन के ऊपर निर्भर है। लेकिन उसके अलावा जो माइनार्टी के अधिकार और वैलफेयर का मामला है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री सभापति : वह कटिबद्ध हैं। उन्होंने आपकी मदद करने के लिए कमर कस ली है।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : पूरे सदन के जरिए माइनार्टी रिजर्वेशन की बात जब हो रही है, तो सदन में एक खुली चर्चा आप करवा दीजिए ताकि सारी पार्टियों से चर्चा करने के बाद इस मसले को तय किया जा सके।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی [illegible]

[illegible]]

डा० अबरार अहमद खान : सर, इस पर आधे दिन की चर्चा करवा दीजिए।

श्री सभापति : आप लिख कर दीजिए।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा को हाऊस में पूरा किया जाय।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی [illegible]]

B.G. Line between Guwahati to Lumding in N.F. Railway

*323. SHRI DAVID LEDGER: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to take up the expansion work of the Broad Gauge line from Guwahati to Lumding in the North Frontier Railway during the current year;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons, therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Due to constraint of resources and heavy commitments on hand for gauge conversions.

SHRI DAVID LEDGER: I must say that the answer given by the hon. Minister will once again disappoint the people of Assam and the North-East. It is needless to emphasise that one of the main reasons for the slow pace of industrialisation in Assam and in North-Eastern States is the transport bottleneck and lack of proper communication system. Sir, whatever industry is there in Assam—oil, coal or private sector—is all situated in upper Assam. It is, therefore, imperative that upper Assam be connected with the broad gauge line. This will not only benefit Assam but it will also benefit the immediate neighbouring States like Arunachal and Nagaland. So will the Minister kindly consider

† [Transliteration in Arabic script].